

राजस्थान सरकार
कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग
कार्यालय मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स 6 सी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
कर्मोंक : स्था./मु.नि.का.बा./19 180 जयपुर, दिनोंक : 31/01/2019

कार्यालय आदेश

भारत सरकार के Business Reform Action Plan, 2019 के बिन्दु संख्या 65 एवं डीआईपीपीए भारत सरकार से उक्त क्रम में FAQ द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण की पालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश कर्मोंक स्था./मु.नि.का.बा./18/1310 दिनांक 02-08-2018 में आंशिक संशोधन करते हुये यह आदेश दिये जाते हैं कि दिनांक 01-02-2019 से बायलर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत बायलर के पंजीयन एवं नवीनीकरण के लिये किये जाने वाले निरीक्षणों हेतु निरीक्षकों का आवंटन Central Inspection System के द्वारा Computer से ही किया जावेगा।

इस हेतु बायलर के नवीनीकरण के लिये निरीक्षण क्षेत्रीय निरीक्षकों द्वारा किये जायेंगे एवं उनका निरीक्षण कार्यक्षेत्र उनके पदस्थापन कार्यालय का पूरा संभाग होगा तथा बायलर के पंजीयन के लिये निरीक्षण मुख्यालय पदस्थापित निरीक्षकों द्वारा किये जायेंगे एवं उनका निरीक्षण कार्यक्षेत्र पूरा राज्य होगा।

5
31/01/2019
(मुकेश जैन)

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स,
राजस्थान, जयपुर।

कर्मोंक : स्था./मु.नि.का.बा./19

जयपुर, दिनोंक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. नोडल अधिकारी, आई.टी. सैल।
3. श्री..... उप मुख्य निरीक्षक/वरिष्ठ निरीक्षक/ निरीक्षक,
कारखाना एवं बायलर्स.....
4. रक्षित पत्रावली।

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स,
राजस्थान, जयपुर।